कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0– 91/16-17/

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
13.10.2020	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांकः– 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांकः–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भुमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी ।जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा....लोधमा.......थाना नं0 134 खाता नं0 49/6 ....खेसरा नं0 265 ......रकबा 0.16 .....एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास ,अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या.....I.......के पृष्ठ संख्या 130 पर जमाबंदी रैयत.....[illegible] 3051 ....पिता/पति.....फागु 3051 ...... के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 27/10/2020 को रखें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
06.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। जमाबंदी रैयत डेबो मुण्डा पिता फागु मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में मालगुजारी रसीद सं0 002585 वर्ष 2015–16 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत है:– **खतियान की स्थिति**:– मौजा तपेसरा, थाना नं0 134 के सर्वे खतियान में खाता सं0 49 प्लॉट नं0 265, रकबा 0.16 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है। **पंजी ii की स्थिति** :– मांग पंजी ii पृष्ट सं0 130 भाग सं0 I में दर्ज जमाबंदी रैयत डेबो मुण्डा पिता फागु मुण्डा के नाम से खाता सं0 49 प्लॉट नं0 265, रकबा 0.16 एकड़ दर्ज है। पंजी II में जमाबंदी का कोई आधार दर्ज नहीं है। रसीद वर्ष 1977–78 से वर्ष 2015–16 तक निर्गत है। बंदोबस्त पंजी में जमाबंदी रैयत का नाम दर्ज नहीं पाया गया। बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर पंजी II रैयत का दखल कब्जा नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार पंजी II के पृष्ट सं0 130 भाग I पर दर्ज खाता सं0 49 प्लॉट नं0 265, रकबा 0.16 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा कनसीली थाना नं0 134 के सर्वे खतियान में खाता सं0 49 प्लॉट नं0 265, रकबा 0.16 एकड़ भूमि को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	